

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
998/2024

दायर दिनांक  
12.12.2024

निर्णय दिनांक  
02.01.2025

1. श्रीमती भैरुकवर पुत्री स्वरूपसिंह पत्नी श्री बहादुर सिंह भाटी निवासी आलोली, अरनिया, जागीर भीलवाडा

— प्रार्थीया

बनाम

1. श्री नरपत सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री मानसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री गिरवर सिंह पुत्र श्री धीरत सिंह निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री धीरत सिंह निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्री गोपी लाल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम साडी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्रीमती उच्छब कवर पत्नी श्री भैरु सिंह राजपूत निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरु सिंह राजपूत निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. श्री रामसिंह पुत्र श्री भैरु सिंह राजपूत निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री भैरु सिंह राजपूत उम्र निवासी ग्राम आमाखेडी, तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज.)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री लोकेन्द्र सिंह गौड उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 13 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमाखेडी पटवार हल्का तिलोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद मे मुझ प्रार्थीया की आराजी संख्या 130 रकबा 2.0232 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंनें पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी ) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम आभाखेडी पटवार हल्का तिलोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद मे मुझ प्रार्थीया की आराजी संख्या 130 रकबा 2.0232 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में मिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

अधीक्षक अभिलेखी  
भीलवाडा